


कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

निविदा सूचना


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मीरजापुर के परिसर में स्थित 04 दुकान पूड़ी, मिठाई, चाय, नमकीन, 02 दुकान फोटोस्टेट, 01 दुकान फोटोग्राफर, 01 साइकिल स्टैंड, 01 फल की दुकान तथा 05 दुकान पान की दुकानों को नीलामी वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 12.04.2018 को सायं 04:00 बजे होगी। चाय, नमकीन, पूड़ी, मिठाई, फोटोस्टेट एवं साइकिल स्टैंड लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को मु० 10,000/- एवं फोटोग्राफर, पान की दुकान एवं फल की दुकान लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को मु० 5000/- रुपये की नकद धनराशि दिनांक 11.04.2018 को सायं 4:00 बजे तक नज़ारत अनुभाग में जमा कर बोली बोल सकते हैं। बोली नियमानुसार होगी, इसके बारे में जानकारी नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मीरजापुर से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं। जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी अन्य जानकारी नज़ारत अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

केन्द्रीय नाज़िर को निर्देशित किया जाता है कि इस निविदा सूचना की प्रति जन सामान्य के सूचनार्थ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका, न्यायालय, बार, कार्यालयों में एवं उचित सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर अनुपालन प्रति मय आख्या प्रस्तुत करें।


नोट:- नीलामी की सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा बोली गयी बोली की पूरी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तीन दिन के अन्दर नज़ारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा तथा उक्त 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने की दशा में उसकी जमा सिक्वोरिटी धनराशि जब्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी अन्य जानकारी नज़ारत अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं।


(देवेंद्र कुमार शुक्ला) 29/3/18
सदस्य,

अपर जनपद न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०-06,
मीरजापुर


(राम लक्ष्मी सिंह चन्देल)
सदस्य,

विशेष न्यायाधीश (ई०सी०-एक्ट),
न्याय कक्ष सं०-04,
मीरजापुर


(संजय हरि शुक्ला) 29/03/18
अध्यक्ष,

अपर जनपद न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०-03,
मीरजापुर